न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट
जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविंद सिंह आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 30/2024
किस्म :– प्रार्थना–पत्र
दायर दिनांक : 02.08.2024 निर्णय दिनांक : 10.05.2025

अनवान

मोहनलाल पिता पन्नालाल जाति हरिजन निवासी आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद, राजस्थान

.............प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट जिला राजसमन्द (राज.)

..............विपक्षी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

प्रार्थी की ओर से :– अधिवक्ता धर्मेश शर्मा
विपक्षी की ओर से :– सरकार

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व गांव आमेट पटवार हल्का आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद के खाता संख्या नया 893 पुराना 772 के आराजी नम्बर 145, 1816 कुल किता 02 रकबा 0.9300 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। प्रार्थी का वास्तविक एवं सही नाम मोहनलाल पिता पन्नालाल जाति हरिजन है, परन्तु प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद जो नामान्तरकरण खोला गया उसमे प्रार्थी का घर का बोलता नाम गणेश पुत्र पन्नालाल जाति हरिजन अंकित कर दिया गया, जबकि उक्त वर्णित भूमि पर प्रार्थी ही काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है एवं किसी अन्य का कोई हक, दखल, तालूक नही है। प्रार्थी पन्नालाल जी का पुत्र होकर प्रार्थी का सही नाम मोहनलाल है, प्रार्थी के आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि मे भी प्रार्थी का नाम मोहनलाल ही अंकित है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी की भूमियो पर वित्तीय संस्थान से ऋण लेने का आवेदन किया तो प्रार्थी को पता चला कि जमाबन्दी रेकार्ड मे उसका नाम गणेशलाल अंकित है, जब कि उसका सही नाम मोहनलाल है, इसलिए प्रार्थी को वित्तीय संस्थान से ऋण भी प्राप्त नही हो सका। प्रार्थी अपना नाम दुरस्त कराने हेतु तहसीलदार साहब से निवेदन किया तो तहसीलदार साहब ने कहा कि समक्ष न्यायालय आदेश लेकर आओ तो आपका नाम सही कर देगें, जिससे मजबुर होकर प्रार्थी को आप श्रीमान् के समक्ष यह

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी आमेट

प्रार्थना पत्र करना पड रहा है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 05.07.2024 को भी विपक्षी को उक्त राजस्व रेकार्ड मे गलत इन्द्राज सुधार कर प्रार्थी का नाम गणेशलाल के बजाय मोहनलाल करने का निवेदन किया, किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नही होने से वाद हेतुक उत्पन्न होकर जारी है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त वर्णित भूमि मे काश्तकार के नाम की प्रविष्ठी में प्रार्थी का नाम गणेशलाल के बजाय मोहनलाल अंकित किया जाकर प्रार्थी के नाम को दुरस्त किया जाने का आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार आमेट ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि सर्वे–रिसर्वे से पूर्व ग्राम आमेट की खाता संख्या 893 खसरा सं. 145, 1816 कुल किता–02 रकबा 0.9300 है0 में पार्टी का नाम दर्ज नहीं है। खसरा स. 145 रकबा 0.6700 है० इन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह हिं० 1/6 जाति राजपुत सा. काजीगुड़ा वगैरह नाम एवं खसरा में 1816 रकबा 0.0200 है0 किस्म चरागाह, आमेट के नाम दर्ज रिकार्ड है सेटलमेन्ट पश्चात उक्त दोनो खसरा सं. के नये नम्बर क्रमशः 145 के नये नम्बर 196 व 1816 के नये नम्बर 2411 बने नवीन खसरा सं. 196 रकबा 0.5781 है० इन्द्रसिंह पुत्र भवरसिंह हिस्सा 1/6 जाति राजपुत सा. काजीगुड़ा वगैरह के नाम तथा खसरा संख्या 2411 रकबा 1.6337 है० किस्म चरागाह आमेट के नाम दर्ज रिकोर्ड है मिलान खसरा संलग्न है। उक्त भूमि में गणेश पिता पन्ना जाति हरिजन सा. आमेट दर्ज है मौके पर उपस्थित मौत बिरान के अनुमार उक्त कृषि भूमि मे दर्ज नाम प्रार्थी मोहनलाल पिता पन्ना का ही है। प्रार्थी को बचपन में गणेश नाम से जानते थे गणेश पिता पन्ना हरिजन नाम का ग्राम आमेट में ओर कोई व्यक्ति नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों में मोहनलाल पिता पन्नालाल अंकित है। सेटलमेन्ट पश्चात नवीन खाता सं. 261 खसरा सं. 259 रकबा 0. 8493 व खसरा सं. 986 रकबा 0.0662 किता 02 रकबा 0.9155 है० मे प्रार्थी का नाम गणेश पुत्र पन्ना 1/3 पाति हरिजन सा० आमेट दर्ज रिकोर्ड है। मिलान क्षेत्रफल व नवीन जमाबन्दी सलग्न है। प्रार्थी अधिवक्ता ने आदेश 06 नियम 17 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र मे टंकन त्रूटि से ग्राम आमेट अंकित हो गया जबकि विवादित भूमि गांव आगरिया मे स्थित है। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र मे ग्राम आमेट के स्थान पर आगरिया दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 स्वीकार फरमाया जावें। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं राजस्व गांव आमेट के स्थान पर गांव आगरिया लाल स्याही से अंकित करने के आदेश दिये जाते है।

दौरान कार्यवाही पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर यह ताईद हैं कि गणेश पिता पन्ना एवं मोहनलाल पिता पन्ना दोनों अलग–अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पहचान पत्र, आधर कार्ड, पेन कार्ड मे प्रार्थी का नाम मोहनलाल अंकित है, जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य साबित है।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट, जिला-राजसमन्द

:: आदेश ::

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाता हैं एवं राजस्व गांव आगरिया पटवार हल्का आगरिया तहसील आमेट जिला राजसमंद के खाता संख्या नया 261 पुराना 268 के आराजी नम्बर 259, 986 कुल किता 02 रकबा 0.9155 हैक्टेयर भूमि में गणेश पुत्र पन्ना को विलोपित करते हुए के स्थान पर मोहनलाल पुत्र पन्ना राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तुर रहे। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

नोटः– तहसील आमेट/सरदारगढ मे सर्वे–रिसर्वे के दौरान यदि आराजी नम्बर बदल गये हो तो नवीन आराजी नम्बर का नक्शा ट्रेस एवं मिलान खसरा से मिलान करते हुये निर्णय की पालना की जावें। नवीन राजस्व अभिलेख की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ पुनः इस न्यायालय मे प्रस्तुत करावें।

(गोविंद सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक 10.05.2025 खुले न्यायालय पर आदेश सुनाया गया।

(गोविंद सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)